न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 09/21 वर्ष 2021

GCMS No- 2021/ 44

बउनवानी:– 1.बाबूलाल पुत्र प्रहलाद जाति पूर्विया निवासी भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा
2.अशोक पुत्र प्रहलाद जाति पूर्विया निवासी भगवतगढ तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5)एन0एच.एक्ट,1956एवं धारा,64 राईट टू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड़ एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट, 2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 0.95 है0 मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.32 है0 पर लगे हुए अमरूद के पौधो की आयु 2 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष के हिसाब से संशोधित अवार्ड देने बाबत।

उपस्थित:–1.श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा	वकील अप्रार्थी संख्या 2
3. श्री तुलसीराम शर्मा	नायब तहसीलदार पैराकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक:–5.3.2024**

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा खसरा नम्बर 415 रकबा 0.32 है0, मे स्थित पौधो की कम आयु का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक/एन.एच.148एन/2019/181/ दिनांक 2.8.2019 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने परं न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की अवाप्तशुद्वा खसरा नम्बर 415 रकबा 0.95 है0 मे से रकबा 0.32 है0 भूमि पर स्थित अमरूद पौधो की आयु 6–7 वर्ष है किन्तु का अवार्ड राशि 2 व 3 वर्ष की आयु मानते हुए देने बाबत जारी नोटिस कमांक/एन.एच.148एन/[illegible]2.8.2019 को प्राप्त हुआ है जो गलत है क्योकि उक्त भूमि ख0न0 415 की भूमि पर [illegible] अमरूद के पौधे जिनकी आयु 6–7 वर्ष है। कथन के समर्थन में खसरा गिर[illegible] प्रस्तुत की गयी है जिसमे सम्वत् 2073 मे बगीचा अंकित है। अतः उक्त [illegible] पौधो की मुआवजा रा[illegible] वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष के हिसाब से दिलवाने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन [illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:25:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी. 304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गयी जिसका भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को एवं समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर''एवं ''राजस्थान पत्रिका ''में दिनांक 8.9.2018 को प्रकाशन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3(ए) का नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3(सी) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3(डी) की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–1* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा–3(ए) की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की खसरा नम्बर 415 रकबा 0.95 है0 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे से 0.32 है0 भूमि अवाप्ति की गयी है तथा उक्त भूमि पर स्थित अमरूद के 77 पौधो की आयु 3 वर्ष मानते हुए अवार्ड राशि 2,93,370/–रू का जारी किया गया है जहॉ तक पौधो की आयु 6–7 वर्ष होने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 से 2076 में सम्वत् 2073 मे अमरूद का बगीचा लगा हुआ है तथा एन.एच.148 के निमार्ण हेतु राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी के वर्ष 2018 मे सम्वत् 2074–75 बनते है जिसके अनुसार प्रार्थी के पौधो की आयु 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 तक 2 वर्ष होती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के 77 अमरूद के पौधो का अवार्ड 3 वर्ष की आयु मानते हुए पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक [illegible] नही है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र [illegible] किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:25:57 IST
Reason: SelfAttested

.......(2).......

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा की खसरा नम्बर 415 रकबा 0.95 है0 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे से 0.32 है0 भूमि अवाप्त किया जाकर उक्त भूमि पर स्थित अमरूद के 77 पौधो की आयु 6–7 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष मानते हुए अवार्ड राशि 2,93,370/–रू का जारी किया गया है उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के पौधो की आयु 6–7 वर्ष होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073–2076 प्रस्तुत की गयी है जिसमें सम्वत् 2073 (वर्ष,2016) मे अमरूद का बगीचा लगा होने का अंकन हो रहा है उक्त एन.एच.148 के निमार्ण हेतु राजमार्ग के प्रावधान के अनुसार 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 (सम्वत् 2075) को जारी की गयी है। इस प्रकार मुताबिक खसरा गिरदावरी के प्रार्थी के पौधो की आयु 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 तक 2 वर्ष होती है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 78 पौधो की आयु 3 वर्ष मानते हुए कुल अवार्ड राशि 2,93,370/–रू का पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा अपने पौधो की आयु 6–7 वर्ष होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्तानुसार पारित अवार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:25:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner